प्रशासन गांवों के संग अभियान-202
कैम्प गोठड़ा
दिनांक 16/11/2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :– 622/2021

–: आदेश :–

दिनांक :– 16/11/2021

प्रार्थी के ''खाता दुरूस्ती'' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गोठड़ा	2074-77	49	मानाराम	कानाराम

नोट :– शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
खेतड़ी जि. झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक :– राजस्व/2021/501
दिनांक :– 16/11/2021

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया सुरेश कुमार पुत्र रामदीन प्रसाद जाति गुर्जर नि० गोठड़ा को सूचनार्थ।

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 15:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
खेतड़ी जि. झुंझुनूं (राज.)

Scanned with CamScanner